

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)



जज अदालत

SDO कलेक्टर बसवा मुकाम

रजिस्टर नं. गुलाब वर्ग बनाम हरीमोहन वर्ग  
 अपील नामान्तरण सन 01/2023

<p>आ हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही प्रथम इनिशियल्स जज                  31.5.2023</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम                  जो इस हुकम की तामील                  में जारी हुए</p>
<p>प्रसन्नगत अपील अपीलार्थीगण गुलाब चुन्नी कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी उपरी बस्ती, करनावर वगैरह तह.बसवा द्वारा वास्ते अपील नामान्तरण संख्या 49 दिनांक 9.9.2007 सरपंच ग्राम पंचायत ऐचेडी एवं नामान्तरण संख्या 385 दिनांक 28.5.2008 ग्राम पंचायत करनावर के विरुद्ध हेतु जरिये एडवोकेट श्री राजेश कुमार के द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण हरीमोहन पुत्र कन्हैया लाल बैरवा निवासी करनावर तह.बसवा वगैरह के विरुद्ध पेश की गई है ।</p> <p>प्रस्तुत अपील विरुद्ध नामान्तरण का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी होकर, पत्रावली दिनांक 30.6.2023 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी                  बसवा (दीस)</b></p> <p>30/6/23 पत्रावली पेश हुई। रेसपोण्डेंट सं. 1 व 2 क्रमशः हरीमोहन व राजेश उप. द्वारा रेसपोण्डेंट सं. 1 व 2 के द्वारा फल संपुक्त प्र. पत्र इत द्वारा का पेश किया कि वे अपने माता-पिता के 2 भाइयों के साथ-साथ 5 बेटों गुलाब, सावजी सुनिता, भाभा, लाली हैं। यदि मृतक पिता कन्हैयालाल का नामान्तरण प्राप्ति/रेसपोण्डेंट भाइयों के साथ-साथ 5 बेटों के नाम भी खोल दिया जाता है। तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। रेसपोण्डेंट द्वारा यह भी धोके किया है कि उनका नामान्तरण 1/2-1/2 का खोल जावे।</p> <p>प्राप्तिगण रेसपोण्डेंट के प्र.पत्र को एवकाब किया जाकर, प्रकरण के लेख में TDR बसवा को उक्त आवेदनिका, व अपील प्र.पत्र की प्रति भिजवाकर निर्देश/आदेश दिए जाते हैं कि प्रकरण को L.R. Act. 1956 की धारा 135(2) के तहत प्रकाशन को साथ संपन्न का पूर्ण हुसल देकर न्यायिक अधिकारियों को निवेदन करे।</p> <p>न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रकरण निर्वृत्त काल केवल शुभारंभ कर दायित्व दायित्व किया जाता है।</p>		

अपीलेंट  
 सुनीता  
 गुलाब  
 उक्ति  
 जालियाग  
 रेसपोण्डेंट  
 हरीमोहन  
 (हरीमोहन)  
 राजेश



जिला अदालत बhopal मध्य प्रदेश